झारखण्ड सरकार

कार्यालय – वन प्रंमडल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, वन भवन, हजारीबाग

☎ 06546-222339, Fax no.06546-222339, Email- dfo.hazaribaghwest@rediffmail.com

पत्रांक 2283 / दिनांक 02-05-16 /

सेवा में,

श्री सत्येन्द्र कुमार,
कार्यपालक अभियंता, (वि.)
बिजली आपूर्ति प्रमंडल,
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0
हीराबाग, हजारीबाग।

विषयः– राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 का चौपारण ब्लॉक, (चौपारण से चोरदाहा) तक 11 के0वी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु संशोधित 5.6322 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के स्थलीय निरीक्षण के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय का पत्रांक 2148 दिनांक 25.04.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में दिनांक 27.04.2016 को विषयांकित वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव का स्थलीय निरीक्षण कार्यपालक अभियंता, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0, हजारीबाग, अधीक्षण अभियंता, REP, डी0भी0सी0, हजारीबाग, अधोहस्ताक्षरी एवं वन क्षेत्र पदाधिकारी, चौपारण प्रक्षेत्र तथा अन्य की उपस्थिति में किया गया। स्थलीय निरीक्षण के कम में यह पाया गया कि आवेदित स्थल पर पूर्व से पक्के बिजली के पोल अवस्थित थे एवं बिजली तार लगे हुए थे। स्थल पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सूचित किया गया कि पूर्व से लगे हुए Cement Pole पर मात्र नंये बिजली तार लगाकर विद्युत का संचार किया जायगा। तदनुसार यह प्रतिवेदित करना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना ही वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य किया गया है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना अन्तर्गत पूर्व में चौपारण ब्लॉक में 11 के0भी0 ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 16.91965 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया था। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर के पत्रांक 5JHC116/2009-BHU दिनांक 20.08.2010 द्वारा प्रद्वत अंतिम स्वीकृति के आलोक में सरकार के उपसचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 3931 दिनांक 15.09.2012 द्वारा विषयगत् परियोजना में सन्निहित अधिसूचित सुरक्षित वनभूमि पर विमुक्ति आदेश प्रदान किया गया था, जिसमें हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल अन्तर्गत 4.1153 हे0 वनभूमि का हस्तांतरण प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में किया गया था। हस्तांतरित वनभूमि पर कार्य करने की अनुमति प्रयोक्ता संस्थान को प्रदान की गई थी, परन्तु हस्तांतरित वनभूमि के अलावे प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिना अनुमति के निम्नांकित वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य किया गया पाया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क0 सं0	मौजा का नाम	थाना/थाना संख्या	प्लॉट संख्या	रकवा (हे0 में)	अभियुक्ति
1	डोमाडाडी	चौपारण – 65	4, 8, 24	0.840	
2	चौपारण	चौपारण – 64	21, 22, 33, 39	1.855	
3	बिगहा	चौपारण – 67	6/779, 7	1.302	
4	ताजपूर	चौपारण – 61	1, 56	0.476	
कुल :–				**4.473**	

अतएव यह पाया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 4.473 हे0 वनभूमि पर बिना भारत सरकार के अनुमति के कार्य किया गया है, जिसे वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जायगा तथा संलिप्त दोषी प्रयोक्ता अभिकरण के पदाधिकारी/कर्मचारी पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् कार्रवाई की जायंगी।

अतः आपके द्वारा समर्पित ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या FP/JH/TRANS/17225/2015 को मूल रूप में आठ प्रतियों में वापस किया जाता है। साथ ही पत्र प्राप्ति के दो दिनों के अन्दर आप यह स्पष्ट करे कि क्यों वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों का उल्लंघन कर भारत सरकार के पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना वनभूमि पर गैर वानिकी कार्य किया गया। भविष्य में यदि प्रस्ताव समर्पित किया जाता है तो अपयोजित की जाने वाली वनभूमि के विषय में प्रस्ताव में स्पस्ट रूप से अंकित किया जाये कि निम्नलिखित मौजाओं के वनभूमि का 4.473 हे0 रकवा के लिये नियमितिकरण का प्रस्ताव एवं 1.1592 हे0 रकवा के वनभूमि के लिए नया अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया जाय। उपरोक्त के संबंध में निममितिकरण एवं नया अपयोजन हेतु ग्रामवार/थानावार/प्लॉटवार/रकवावार वनभूमि किस्मवार का आंकडा प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से दर्शाया जाय।

विश्वास भाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल